-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कालिंजर पुलिस द्वारा सोलर पम्प मोटर, केबिल व स्टार्टर चोरी करने वाले वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 25.05.2025 को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा सोलर पम्प मोटर, केबिल व स्टार्टर चोरी करने वाले अभियुक्त को अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि थाना कालिंजर क्षेत्र के कटरा निवासी एक महिला प्रीति पत्नी धर्मेन्द्र द्वारा थाना कालिंजर पर सूचना दी कि दिनांक 17.04.2025 को उसके खेत में लगे सोलर पम्प मोटर, केबिल व स्टार्टर चोरी करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कालिंजर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा थे। इसी क्रम में आज दिनांक 25.05.2025 को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को ग्राम सौता से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस तथा चोरी के सामानों की बिक्री से प्राप्त रुपये बरामद हुए है।

बरामदगी-

- 01अदद अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर
- 1500 रुपये (चोरी के सामानों की बिक्री से प्राप्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बादल उर्फ देवीदीन पुत्र घसीटा निवासी मकरी धरमपुर जनपद पन्ना (म0प्र0)

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0ल श्री शुभम कौशिक
2. उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र गौतम
3. हे0कां0 वजीर अहमद
4. कां0 कृष्ण कुमार